

शिकायत निवारण सूचना

- सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017 29 मई 2018 से भारत सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है।
- चूंकि मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा वॉर्ड का गठन मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम 2017 के अनुच्छेद 73 व 74 तथा केन्द्रिय मानसिक स्वास्थ्य नियम 2018 के अन्तर्गत किया जाना है जिसमें अभी थोड़ा समय लग रहा है इसलिये तब तक राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकरण ही सभी दिल्ली राज्य के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के लिये मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा वॉर्ड के रूप में कार्यों का देखभाल या निष्पादन करेगा। सिर्फ इहवास के लिये दिल्ली सरकार स्वास्थ्य सेवा ही मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा वॉर्ड का कार्य करेगा तथा सभी शिकायत इहवास के द्वारा होकर ही जायेगा।

अगर किसी मानसिक रोगी या मानसिक रोगी के परिवार को किसी भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मरीज के ईलाज एवम देखभाल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की 'शिकायत' हो तो वह अपनी शिकायत हमारे राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकरण के कार्यालय में, ईमेल या पत्र द्वारा, निम्नलिखित दिये गये पते पर भेज सकते हैं।

राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकरण का पता :

सदस्य सचिव / मुख्य निष्पादन अधिकारी,

राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकरण

निदेशक कार्यालय

इहवास अस्पताल

दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095

ईमेल : smhadelhi.mhrb2018.grievances@gmail.com

फोन : 011-22113395